1089
98

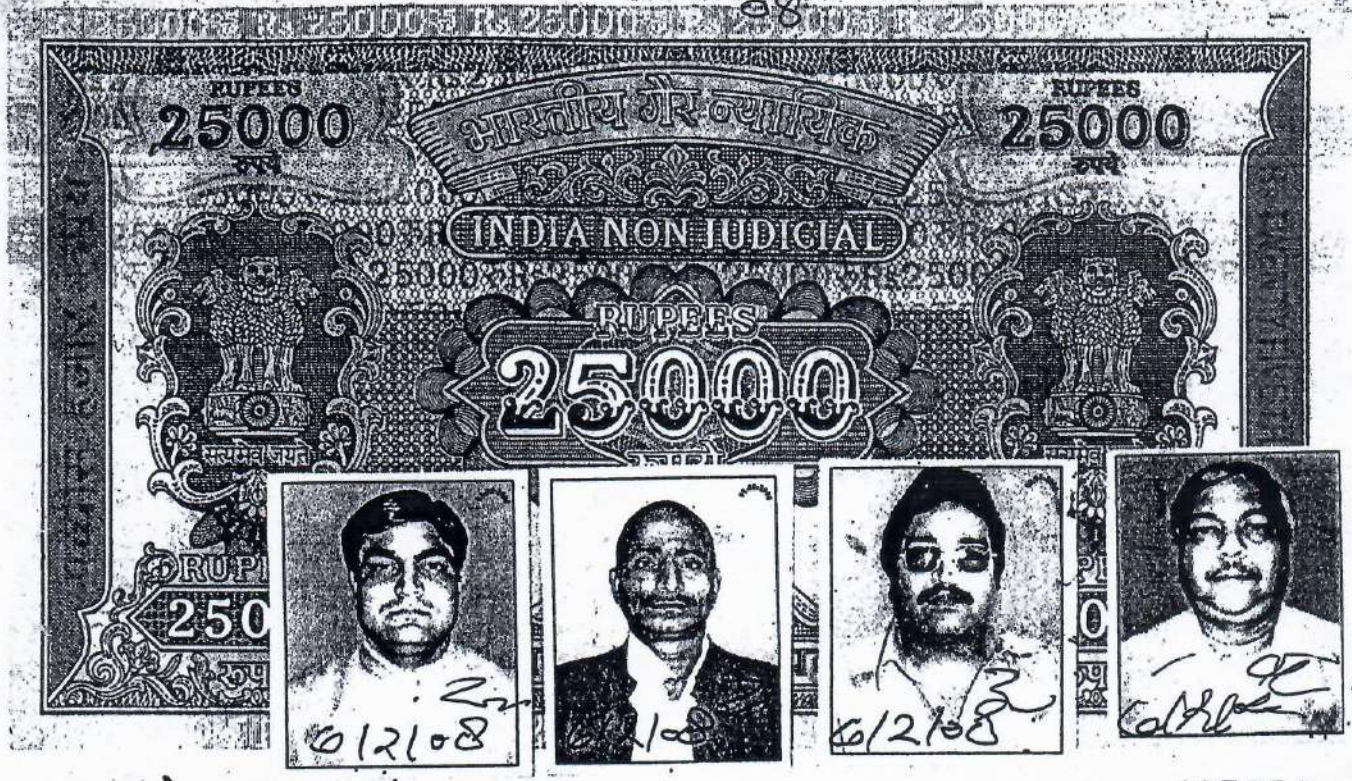

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

483258

॥ जय श्री रमणबिहारी ॥

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण-</u>

1. भूमि का प्रकार- कृषि
2. वार्ड परगना - जिला मथुरा।
3. मोहल्ला/ग्राम - सुनरख बांगर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) - खसरा नं0 1194 व 1196
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) - हैक्टेयर
6. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.557 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) - मुख्य व लिंक मार्ग से दूर

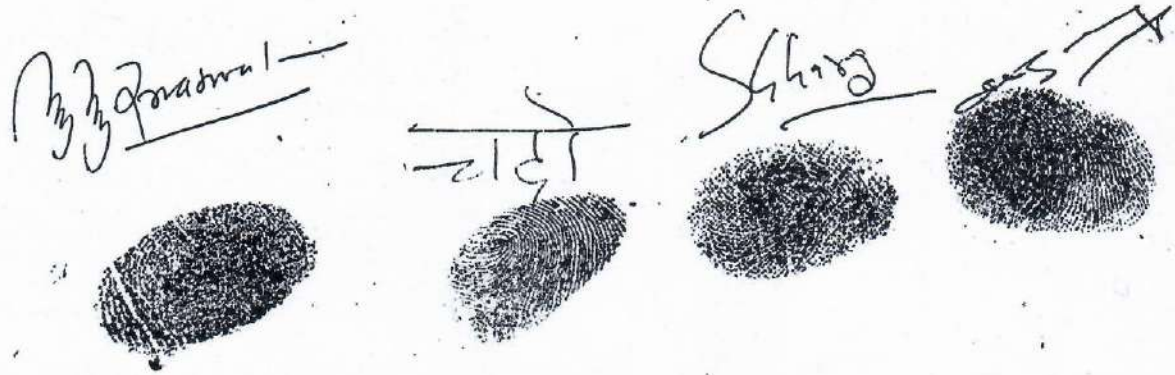

Rs. 21/- Receipt No. 6/2/08 Dt. 6/2/08

Shri श्री श्री एस श्री डबलपर्स पार्टनर

Rs. हाथ एच की गली No. S/o. श्री श्रीराम लाल

317/1 लिंगंबेड़ फरीदाबाद.

B. K. [illegible]

Assistant

Treasury

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483257

{2}

007
- 6 FEB 2008
हरकालर
मथुरा

8. पेड़ों का मूल्यांकन – नहीं

बोरिंग/कुंआ/अन्य – नहीं

प्रतिफल की धनराशि 19,27,000/–रूपये, सरकारी रेट– 14,00,000/–रू. प्रति एकड़ परन्तु खरीदार डवलपर्स कम्पनी होने के कारण 20 प्रतिशत की वृद्धि करके सरकारी रेट 16,80,000/–रूपये प्रतिएकड़, मालियत – 23,11,000/–रू, जो पेज नं0 1 क्रमांक 2 पर दर्ज हैं, देय स्टाम्प – 2,31,100/–रू., विकास शुल्क सीमा के अन्दर, कार्यक्षेत्र उ0नि0 द्वितीय, मथुरा। आस–पास कृषि क्षेत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

483256

{3}

कोषागार 007 मथुरा निर्गत दि. - 6 FEB 2008 हस्ताक्षर

विक्रेता प्रथमपक्ष का विवरण (तीन)

1. मुकेश सारस्वत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सारस्वत निवासी- कैलाश नगर, राजपुर, तहसील व जिला मथुरा व चन्दो पुत्र श्री धर्मपाल निवासी- ग्राम सुनरख, तहसील व जिला मथुरा व सुरेश चन्द गर्ग पुत्र श्री छिद्दीलाल गर्ग निवासी- शाहगंज दरवाजा, मथुरा।

व्यवसाय- कारोबार

क्रेता द्वितीयपक्ष का विवरण (एक)

1. श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 782 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर एच.के. गर्ग पुत्र श्री रोशनलाल गर्ग निवासी- 377/1 लिंक रोड, ओल्ड फरीदाबाद (हरियाणा)

व्यवसाय - कारोबार

.....

चन्दो

Sharma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {4} 483255

हमकि मुकेश सारस्वत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सारस्वत निवासी- कैलाश नगर, राजपुर, तहसील व जिला मथुरा व चन्दो पुत्र श्री धर्मपाल निवासी- ग्राम सुनरख, तहसील व जिला मथुरा व सुरेश चन्द गॅर्ग पुत्र श्री छिद्दीलाल गर्ग निवासी- शाहगंज दरवाजा, मथुरा।

.....विक्रेता प्रथमपक्ष

व श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 782 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर एच.के. गर्ग पुत्र श्री रोशनलाल गर्ग निवासी- 377/1 लिंक रोड, ओल्ड फरीदाबाद (हरियाणा)।

.....क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारगण इस लेखपत्र के है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483254

{5}

विदित हो कि आराजी भूमिधरी खाता संख्या 362 खसरा नम्बर 1194 रकवा 0.287 हैक्टेयर लगानी 3.20 रुपये सालाना सम्पूर्ण अंश व खाता संख्या 276 खसरा नम्बर 196 रकवा 0.817 हैक्टेयर लगानी 5.95 रुपये सालाना में हिस्सा रकवा 0.405 हैक्टेयर का 2/3 भाग समकक्ष 0.270 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश दोनों खातें बाकै मौजा सुनरख बांगर, तहसील व जिला मथुरा। उक्त आराजी के प्रथमपक्ष मालिक व भूमिधर है। जो प्रथमपक्ष मुकेश सारस्वत व चन्दो ने आराजी खसरा नम्बर 1194 रकवा 0.287 हैक्टेयर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483253

{6}

का बजरिये बैनामा इकरारी खुशीराम पुत्र श्री भजनलाल से दिनांक 18.06.2007 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 जिल्द 2402 के पृष्ठ 383-418 में नम्बर 6216 पर हुई है व आराजी खसरा नम्बर 1196 रकवा 0.817 हैक्टेयर में

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483252

{7}

रकबा 0.405 हैक्टेयर आराजी को प्रथमपक्ष सुरेश चन्द गर्ग व मुकेश सारस्वत व हरीबल्लभ शर्मा ने बजरिये बैनामा इकरारी प्यारेलाल पुत्र श्री होती आदि से दिनांक 04.03.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 जिल्द 1406 के पृष्ठ 145-164 में नम्बर 2039 पर हुई है, से खरीद की। इस प्रकार मिलकीयत जरखरीद

S Ghang

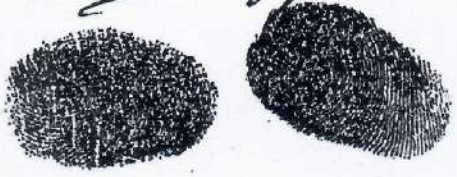

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483251

प्रथमपक्ष है। और रोजखरीदारी से उक्त आराजी प्रथमपक्ष के ही कब्जा मालकाना में है। आराजी उपरोक्त हर प्रकार के वाद-विवाद व भार व झगड़े-झंझटो से पाक साफ है न कोई वाद किसी न्यायालय में है न किसी का कोई हक व हिस्सा है और न ही कहीं अटैच है न किसी प्रकार का कोई दायित्व है न किसी सरकारी संस्था व्यक्ति विशेष व बैंक आदि

चाहो

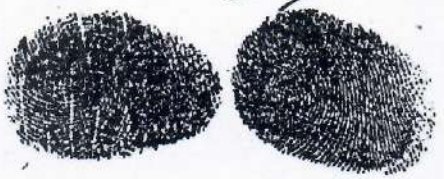

06AA 364088

{9,}

का कोई भार है न सीलिंग में है न पट्टे की है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष को इस अन्तरण करने में कोई बाधा या रुकावट पैदा कर सके गरजे कि मिल्कीयत पाक साफ प्रथमपक्ष है और प्रथमपक्ष को अपनी उक्त आराजी के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालकाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त है । वर्तमान में हम प्रथमपक्ष को अपनी जरूरतों हेतु रुपया की आवश्यकता है। इसलिये विक्रेता प्रथमपक्ष ने

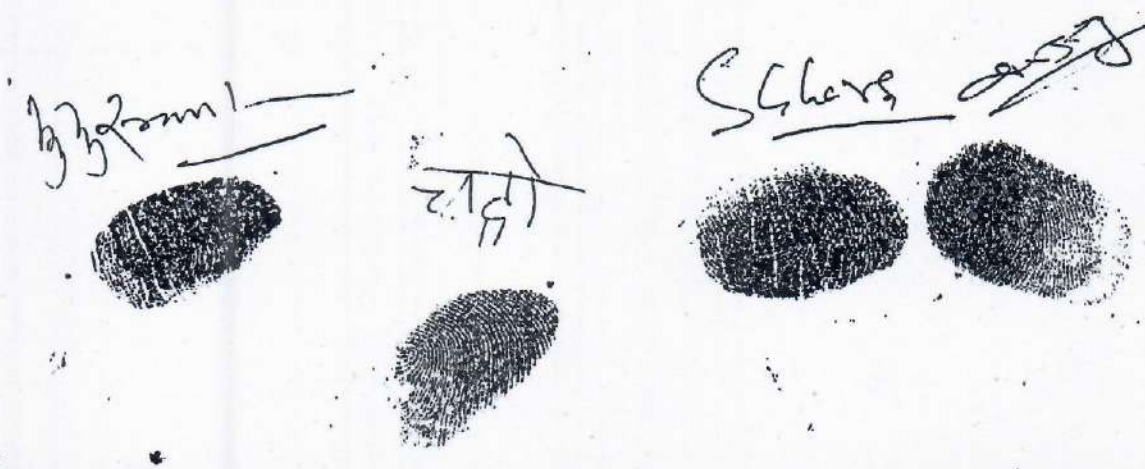

06AA 364089

{10}

अपनी उपरोक्त **0.557 हैक्टेयर आराजी** *को बेच देना उचित समझा है। अतः लाभार्थ खुद के कृषि भूमि उपरोक्त रकवा* **0.557 हैक्टेयर** *को उन सभी हकों के जो हम प्रथमपक्ष को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो बिला छोड़े किसी हक गुडटाइटिल के साथ बिलएवज 19,27,000/-रू. (उन्नीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) जिनके आधे 9,63,500/-रू.*

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 482523

वरिष्ठ कोषाधिकारी 007 निर्गत तिथि - 4 FEB 2008 हस्ताक्षर मथुरा

{12}

कम्पनी सम्पूर्ण मालिक कामिल काबिज व दखील उपरोक्त आराजी की हुई और रहेगा और अपने अधिकार से बहैसियत मालिक सम्बन्धित विभाग में अपने नाम दाखिल खारिज कराये व पूर्ण अधिकार मालकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें व स्वंय जो चाहे सो करें। अब प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उक्त आराजी से नहीं रहा और न भविष्य में होगा। यदि भविष्य में किसी की दावेदारी से या अन्य प्रकार से बेची गई आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा द्वितीयपक्ष से निकलें जावें या कोई वाद-विवाद आदि पायी जावें अथवा कोई भार निकलें तो उसकी सम्पूर्ण हर प्रकार की पूरी-पूरी जबाबदेही व जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी और द्वितीयपक्ष अपना मूल्य का कुल रुपया मय हर्जा-खर्चा व लागत आदि मय ब्याज के प्रथमपक्ष से व प्रथमपक्ष की अन्य जायदाद, चल व अचल

चले

६.२.२००८

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मनोज
पुत्र श्री राम बाबू
पेशा व्यापार
निवासी महोली रोड मथुरा
व श्री अलख निरंजन
पुत्र श्री दुर्गपाल सिंह
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी मथुरा
ने की ।

पत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अखिलेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
6/2/2008

भारतीय गैर-न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 589559

{13}

व वारिसान प्रथमपक्ष से बजरिये अदालत बाजाव्ता वसूल कर लें । इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः यह बैनामा स्वेच्छापूर्वक लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । आराजी उपरोक्त विकास शुल्क के अन्दर है तथा मुख्य व लिंक मार्ग से दूर स्थित है। किस्म सिंचित एक फसला कृषि हेतु है नकल खसरा खतौनी संलग्न है। बाजारी मूल्य 19,27,000/-रु. परन्तु कलक्टर स्टाम्प वसूली रेट 14,00,000/- रुपया प्रति एकड़ है लेकिन खरीदार डवलपर्स कम्पनी होने के कारण संशोधित रेट लिस्ट के अनुसार 20 प्रतिशत की वृद्धि करके सरकारी रेट 16,80,000/-रुपये प्रतिएकड़ के हिसाब से विक्रय रकवा 0.557 हैक्टेयर आराजी का मूल्याकंन

विक्रेता

Registration No 1089 Year : 2008 Book No.

0101 मुकेश सारस्वत

जगदीश प्रसाद सारस्वत

कैलाश नगर वृन्दावन मथुरा

व्यापार

0102 चन्दो

धर्मपाल

सूनरख वृन्दावन मथुरा

व्यापार

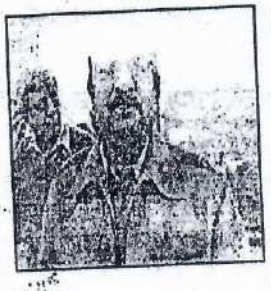
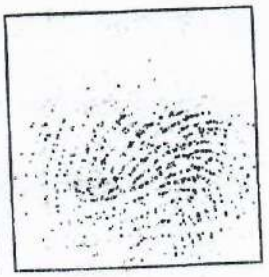

0103 सुरेशचन्द गर्ग

छिदी लाल गर्ग

शाहगंज दरवाजा मथुरा

व्यापार

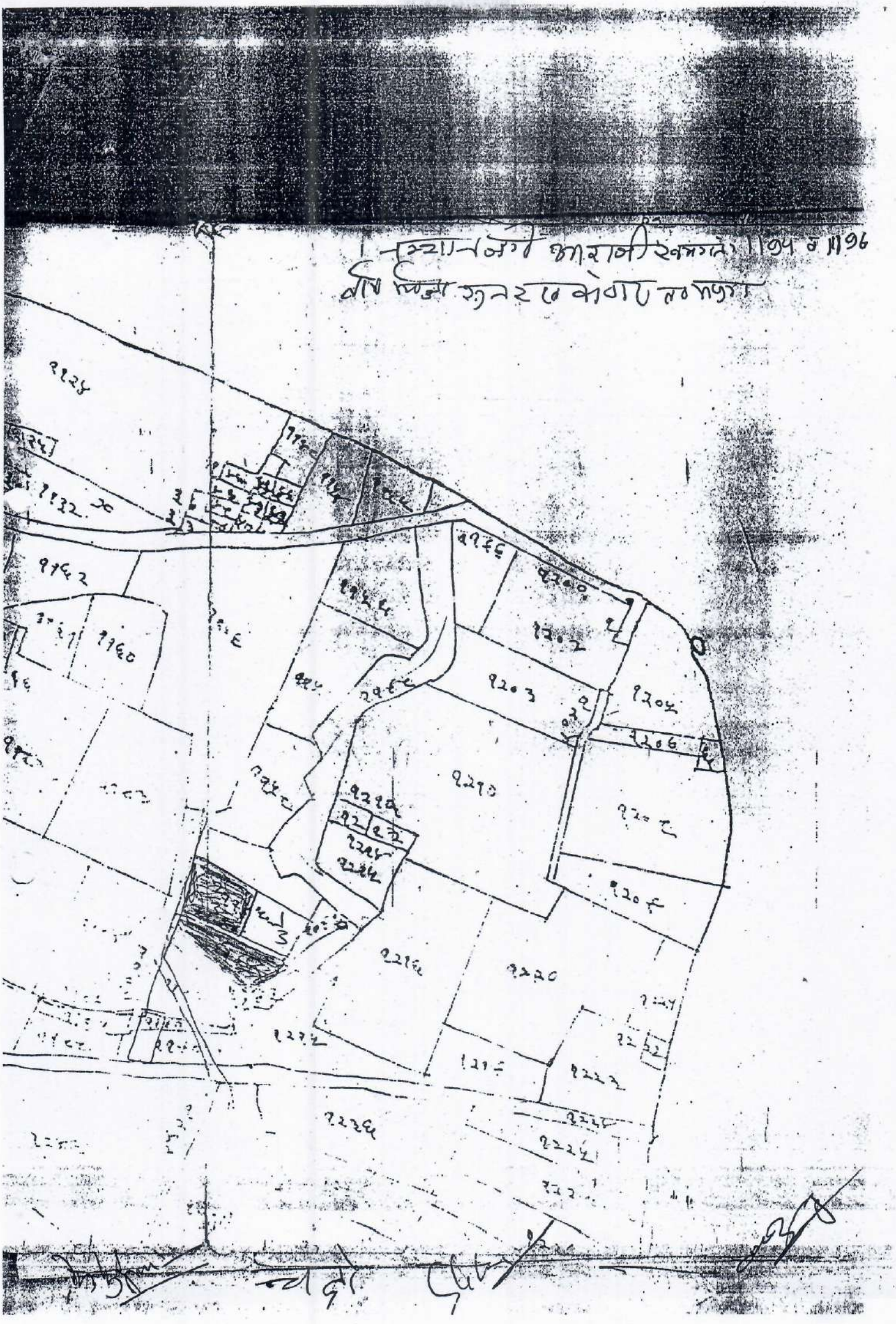

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 761082

{15}

व सुनाकर टाइप व ड्राफ्ट किया गया है। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं।

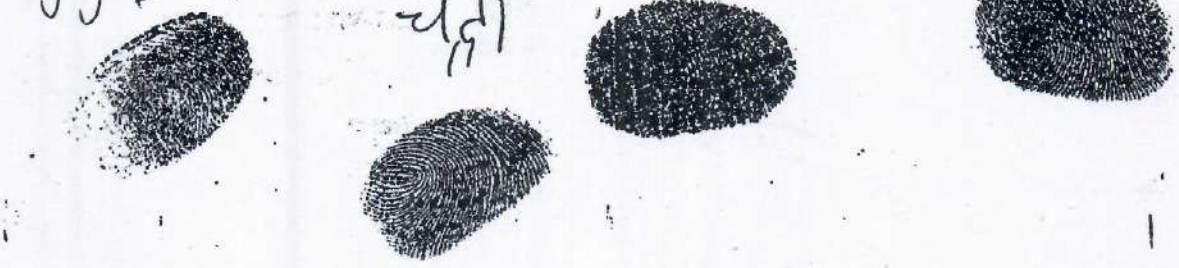

दिनांक – 06.02.2008ई0

कम्प्यूटराइज्ड किया – दीपक

ड्राफ्ट किया – अलखनिरंजन कातिब, मथुरा।

गवाह –

गवाह –

आज दिनांक **06/02/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **2715**

प्रष्ठ सं. **87** से **118** पर कमांक **1089**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अरूणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
6/2/2008